IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

# भारतीय राजनीति में अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण

**डॉ० जयश्री सिंह**

सहायक प्राध्यापक (अतिथि)

नीतीश्वर महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

बी० आर० ए० बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

**शोध सारांश** :– भारतीय राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है, लेकिन यह प्रक्रिया अभी भी कई चुनौतियों का सामना कर रही है। हमें इस दिशा में और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि सभी महिलाओं को समान अवसर मिल सकें और वे अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें। भारत में महिलाओं के लिए राजनीतिक क्षेत्र में अधिक अवसर प्रदान किए जाएँ, ताकि वे अपनी आवाज उठा सकें और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकें। महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों की आवश्यकता है, जो उन्हें सशक्त बनाएँ और उनके राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करें। इस दिशा में उठाए गए कदम न केवल महिलाओं के लिए, बल्कि समग्र समाज के लिए भी लाभकारी होंगे। पिछले 30 वर्षों में, भारतीय राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया है। विशेष रूप से, अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए आरक्षित सीटों पर महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। यह एक सकारात्मक संकेत है, क्योंकि यह दर्शाता है कि समाज के उन वर्गों में महिलाओं को अधिक अवसर मिल रहे हैं, जो पहले से ही सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित रहे हैं।

**शब्द कुंजी** : – भारतीय राजनीति, आरक्षित वर्ग, महिला प्रतिनिधि, राजनतिक अधिकार, सशक्तिकरण।

**प्रस्तावना :–** राजनीति में महिलाओं के लिए आरक्षण का विषय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उभरा। 1931 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र में, बेगम शाह नवाज़ और सरोजिनी नायडू द्वारा तीन महिला संगठनों की ओर से नए संविधान में महिलाओं की स्थिति पर एक संयुक्त आधिकारिक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण योजना में 1988 में यह सिफारिश की गई कि पंचायत स्तर से लेकर संसद स्तर तक महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए।

इन सिफारिशों ने संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के ऐतिहासिक अधिनियम का मार्ग प्रशस्त किया, जो सभी राज्य सरकारों को पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए एक–तिहाई सीटें आरक्षित करने का निर्देश देता है। इनमें से एक–तिहाई सीटें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षित हैं। 2019 के चुनावों में, भारत में राजनीतिक परिदृश्य में महिलाओं की भागीदारी एक महत्वपूर्ण विषय रहा। इस चुनाव में कुल 8,500 से अधिक उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई, जिनमें से केवल 715 महिलाएँ थीं। यह संख्या इस बात का संकेत है कि भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी अभी भी सीमित है।

हालांकि, इस चुनाव में 78 महिलाओं ने नई लोकसभा में पहुँचने में सफलता प्राप्त की, जो एक सकारात्मक संकेत है। इससे लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग 12 प्रतिशत से बढ़कर 14 प्रतिशत हो जाएगा। यह वृद्धि भले ही छोटी हो, लेकिन यह दर्शाती है कि महिलाएँ धीरे–धीरे राजनीतिक क्षेत्र में अपनी जगह बना रही हैं। दुनिया के कई हिस्सों में, प्रमुख सामाजिक समूहों की महिलाएँ राजनीति में प्रवेश करने की अधिक संभावना रखती हैं, लेकिन भारत में यह स्थिति अलग है। यहाँ पर महिलाओं को कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक चुनौतियाँ। इसके अलावा, राजनीतिक दलों में भी महिलाओं के लिए पर्याप्त अवसर नहीं होते हैं, जिससे उनकी भागीदारी और भी कम हो जाती है।

एक सामान्य चिंता जो विश्वभर में महिलाओं और अल्पसंख्यकों की निर्वाचित राजनीति में उपस्थिति बढ़ाने के संदर्भ में चर्चा में होती है, वह यह है कि हाशिए पर रहने वाले समूहों की महिलाओं को शामिल करना कठिन है। यह समस्या कई स्तरों पर जटिल है, क्योंकि हाशिए पर रहने वाले समुदायों की महिलाएं अक्सर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर होती हैं। ऐसे में, जब अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण या अन्य कोटा नीतियों का कार्यान्वयन किया जाता है, तो यह देखा गया है कि अक्सर पुरुषों का चुनाव होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि राजनीतिक दल और चुनावी प्रक्रिया में पुरुषों की अधिक भागीदारी होती है, जिससे महिलाओं की आवाज़ और प्रतिनिधित्व कम हो जाता है।

इसी प्रकार, जब महिलाओं के लिए कोटा लागू किया जाता है, तो अक्सर प्रमुख समूह की महिलाओं का चुनाव होता है, जो पहले से ही कुछ हद तक सशक्त होती हैं। इस प्रक्रिया में, हाशिए पर रहने वाले समुदायों की महिलाएं, जो सामाजिक रूप से दोहरी असुविधा का सामना करती हैं, अक्सर राजनीतिक संस्थानों को अधिक विविध बनाने के लिए किए गए प्रयासों के बीच में रह जाती हैं। यह स्थिति न केवल उनके लिए बल्कि समग्र समाज के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि यह विविधता और समावेशिता की भावना को कमजोर करती है। हालांकि, भारत की स्थानीय राजनीति जैसे पंचायत और नगरपालिका चुनावों में यह चिंता नहीं है, क्योंकि यहां महिलाओं के साथ–साथ अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST) और अन्य पिछड़े वर्गों (OBCs) के लिए भी कोटा निर्धारित है। इस व्यवस्था के तहत, स्थानीय स्तर पर चुनावी प्रक्रिया में महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के सदस्यों को एक समान अवसर मिलता है। यह न केवल उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाता है, बल्कि उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी शामिल करता है।

भारत के स्थानीय चुनावों में कोटा प्रणाली एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करती है, जो यह दर्शाती है कि यदि सही नीतियों को लागू किया जाए, तो हाशिए पर रहने वाले समूहों की महिलाओं को भी राजनीतिक मंच पर लाया जा सकता है। यह न केवल उनके अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि समाज में समग्र विकास और समानता की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

यहां, ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) को 1951 में पहले चुनावों के बाद से उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार आरक्षित सीटें प्राप्त हुई हैं, जो उन्हें राजनीतिक उपस्थिति की गारंटी देती हैं। क्या SC/ST–आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में महिलाएं चुनी जाती हैं? त्रिवेदी सेंटर फॉर पॉलिटिकल डाटा के गिल्स वर्नियर्स और सोफिया अम्मसारी द्वारा देखे गए आंकड़ों के अनुसार, 2019 के आम चुनावों में ST निर्वाचन क्षेत्रों में महिला उम्मीदवारों की संख्या लगभग 13 प्रतिशत थी, जबकि सामान्य श्रेणी में यह 8 प्रतिशत और SC–आरक्षित क्षेत्रों में 10 प्रतिशत थी। ST महिला उम्मीदवारों का उच्च अनुपात विजेताओं में भी देखा गयाः ST निर्वाचन क्षेत्रों में 26 प्रतिशत विजेता महिलाएं थीं, जबकि सामान्य और SC निर्वाचन क्षेत्रों में यह आंकड़ा 14 प्रतिशत था।

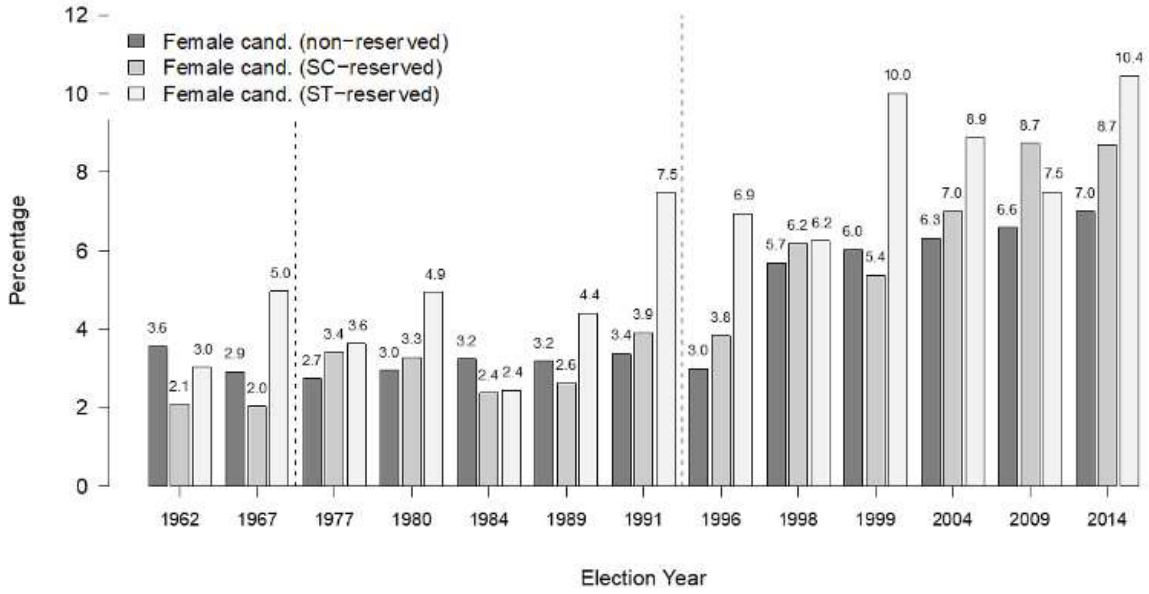


**चित्र 1:** 1961 से 2015 तक गैर–आरक्षित, अनुसूचित जाति–आरक्षित और अनुसूचित जनजाति–आरक्षित लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में महिला उम्मीदवारों का प्रतिशत।

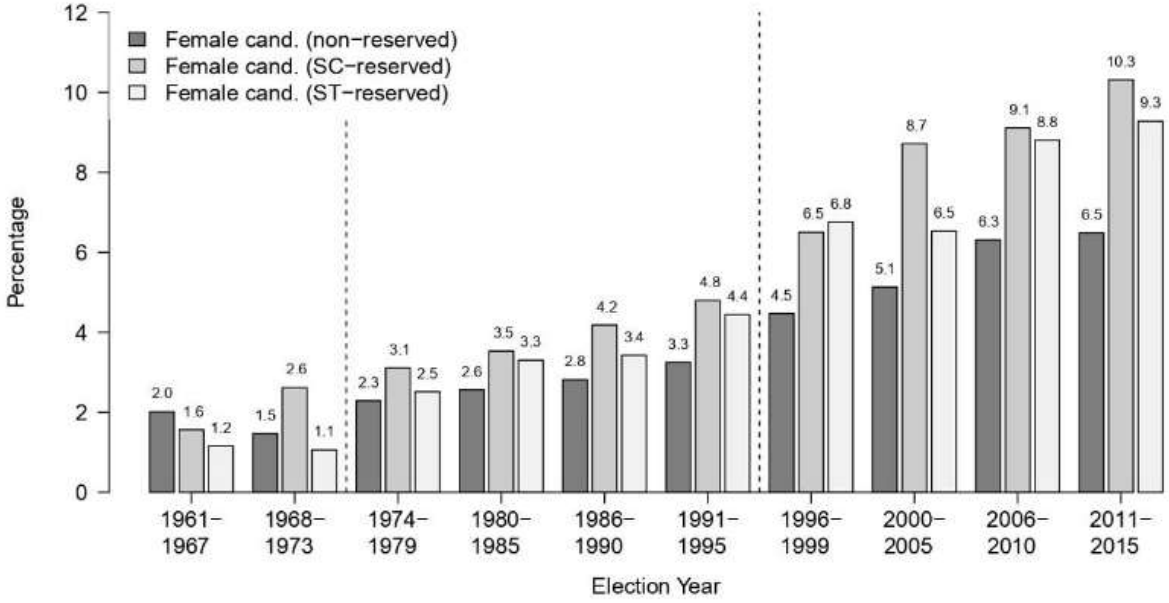


**चित्र 2:** 1961 से 2015 तक गैर–आरक्षित, अनुसूचित जाति–आरक्षित और अनुसूचित जनजाति–आरक्षित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में महिला उम्मीदवारों का प्रतिशत।

चित्र 1 और 2 में लोकसभा चुनाव (1962–2014) और विधानसभा चुनाव (1961–2015) में गैर–आरक्षित (सामान्य) और अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में महिला उम्मीदवारों का प्रतिशत दर्शाया गया है।

चित्र 1 में देखा जा सकता है कि 1990 के दशक तक, सभी प्रकार के निर्वाचन क्षेत्रों में महिला उम्मीदवारों का प्रतिशत कम था। विशेष रूप से, सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत न्यूनतम थी। हालांकि, ST–आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिशत थोड़ा अधिक था, जो यह दर्शाता है कि इन क्षेत्रों में महिलाओं को कुछ हद तक अधिक अवसर मिल रहे थे।

1991 के बाद से, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिशत लगातार थोड़ा अधिक रहा है। यह एक सकारात्मक संकेत है, जो यह दर्शाता है कि आरक्षण के माध्यम से महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो रहा है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों पर महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि ने यह स्पष्ट किया है कि समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों में भी महिलाओं की आवाज़ को सुनने का प्रयास किया जा रहा

है। यह स्पष्ट है कि समय के साथ, विशेष रूप से आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में, महिला उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि हुई है, जो महिलाओं के सशक्तिकरण और राजनीतिक भागीदारी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

राज्य विधानसभा चुनावों के आंकड़ों पर दृष्टि डालने पर, जैसा कि चित्र 2 में दर्शाया गया है, यह पैटर्न और भी स्पष्ट है: यहाँ यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि हाल के वर्षों में महिला उम्मीदवारों की नामांकनों में वृद्धि का अधिकांश भाग वास्तव में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में हुआ है (जहाँ अनुसूचित जाति के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति और सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों की तुलना में अधिक हिस्सेदारी है)।

नामांकन के पैटर्न में अंतर चुनावों में जीतने वाली महिलाओं की संख्या में भी परिलक्षित होता है। 2014 के लोकसभा चुनावों में, सामान्य श्रेणी के निर्वाचन क्षेत्रों में चुने गए सांसदों में 11 प्रतिशत महिलाएँ थीं, जबकि अनुसूचित जाति के आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से 14 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से 13 प्रतिशत महिलाएँ थीं। 2019 के चुनावों में, यह अंतर और भी अधिक स्पष्ट है। वास्तव में, भारतीय चुनावों में सामान्य श्रेणी की महिलाओं को अब तक सबसे कम अवसर मिले हैं।

SC/ST महिलाएं SC/ST पुरुषों की जगह लेती हैं, सामान्य श्रेणी के पुरुषों की नहीं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं कि SC और ST महिलाओं की संख्या सामान्य श्रेणी की महिलाओं की तुलना में कुछ अधिक है। एक नकारात्मक व्याख्या, जो अन्य देशों के साहित्य के अनुरूप है, यह है कि जैसे–जैसे राजनीति में अधिक महिलाओं को लाने का दबाव बढ़ा है, पार्टियों ने जानबूझकर पुरुष एससी और एसटी उम्मीदवारों को महिलाओं से बदलने का निर्णय लिया है ताकि वे सामान्य श्रेणी के पुरुष उम्मीदवारों को यथासंभव बनाए रख सकें। यह अनजाने में भी हो सकता है, क्योंकि एससी और एसटी पुरुष पार्टी के भीतर अपेक्षाकृत कमजोर स्थिति में होते हैं।

एससी और एसटी महिलाओं के अधिक संख्या में नामांकित होने की एक सकारात्मक व्याख्या यह है कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में राजनीतिक क्षेत्र कुछ हद तक अधिक विविध उम्मीदवारों के लिए खुला है। जो भी कारण हो, ऐसे पैटर्न के प्रति जागरूक रहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आदर्श नहीं है कि महिलाओं की राजनीति में प्रवेश एससी/एसटी पुरुषों की कीमत पर हो रहा है, न कि सामान्य श्रेणी के पुरुषों की। महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का कुछ व्यक्तियों द्वारा विरोध किया जाता है। उनका तर्क है कि इससे संविधान में समानता की गारंटी का उल्लंघन होगा। उनका मानना है कि यदि महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, तो वे योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगी, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति में गिरावट आ सकती है।

ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 के अनुसार, भारत राजनीतिक अधिकारिता (संसद में महिलाओं का प्रतिशत और मंत्री पद) के संदर्भ में 146 देशों में से 48वें स्थान पर है। इस रैंकिंग के बावजूद, भारत का स्कोर 0.267 है, जो कि काफी कम है। इस श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहने वाले कुछ देशों का स्कोर कहीं अधिक है। उदाहरण के लिए, आइसलैंड 0.874 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर है, जबकि बांग्लादेश 0.546 के स्कोर के साथ 9वें स्थान पर है।

## 2024 में महिलाओं के सांसदों की संख्या 2019 की तुलना

महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुधारने के लिए विधेयक के पारित होने और इस मुद्दे पर बहस के बावजूद, 18वीं लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व वास्तव में घटा है, जैसा कि आंकड़ों से स्पष्ट होता है। 18वीं लोकसभा में कुल 543 सांसदों में से केवल 74 महिलाएं थीं, जो कुल का 13.6 प्रतिशत है। यह संख्या 2019 के चुनावों में चुनी गई 78 महिलाओं से कम है, जो कि 14.4 प्रतिशत थी और इतिहास में सबसे अधिक थी। फिर भी, महिलाओं के सांसदों का हिस्सा 1957 में लगभग 5.5 प्रतिशत से बढ़कर 2009 के बाद 10 प्रतिशत से अधिक हो गया है।

## भारत में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुधारने के उपायः

भारतीय राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व एक लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है और इस क्षेत्र में कुछ प्रगति भी हुई है, फिर भी अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं:

- सीटों का आरक्षणः स्थानीय निकायों और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण एक प्रभावी उपाय साबित हुआ है। महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक भागीदारी के अवसर प्रदान करने के लिए इस तरह की और आरक्षण नीतियों को लागू किया जा सकता है।
- जागरूकता और शिक्षाः महिलाओं में उनके अधिकारों और राजनीति में भागीदारी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। शैक्षिक कार्यक्रम और जागरूकता अभियानों के माध्यम से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- लिंग आधारित हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदमः लिंग आधारित हिंसा और उत्पीड़न महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में महत्वपूर्ण बाधाएँ उत्पन्न करते हैं। इन समस्याओं का समाधान नीति और कानूनी उपायों के माध्यम से किया जा सकता है, जिससे राजनीति में महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सहायक वातावरण का निर्माण हो सके।
- चुनावी प्रक्रिया में सुधारः महिलाओं की अधिक संख्या को सुनिश्चित करने के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व और प्राथमिक मतदान प्रणाली जैसे सुधारों को लागू करने से राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा मिल सकता है।
- भारतीय राजनीति में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए उपाय सीमित हैं। दीर्घकालिक प्रभाव के लिए कई चुनौतियों का सामना करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है।

**सन्दर्भ सूची :–**


[1] एच. एस. ढ़िल्लन, लीडर शिप एण्ड ग्रप्त इन साउथ इण्डिया विलेजस, प्रोग्राम ईवेल्युएशन आर्गेनाइजेशन, प्लानिंग कमिशन, नई दिल्ली, 1995

[2] ऑस्कर लेविस, ग्रुप डायनामिक्स इन नार्थ इंडिया विलेजस, ए स्टडी ऑफ फ्रेक्शन, प्लानिंग कमीशन, नई दिल्ली, 1958

[3] अवतार सिंह, लीडर शिप पैटर्न एण्ड विलेज स्ट्रक्चर, स्टलिंग पब्लिशर्स नई दिल्ली, 1963

[4] बी. एस. भार्गव, पंचायत राज सिस्टम एण्ड पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1979

[5] डी. एस. चौधरी, इमर्जिंग रूरल लीडरशिप इन इण्डियन स्टेटस, मंथन पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1981

[6] कुरूक्षेत्र (1964) पंचायती राज और महिला विकास, पाइंटर पब्लिशर्स, जयपुर।

[7] शर्मा हरिश्चन्द्र (1968) भारत में स्थानीय प्रशासन, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर।

[8] प्रसाद ईश्वरी (1965) भारत का इतिहास, भाग–1, इंडियन प्रेस, इलाहाबाद।

[9] त्रिपाठी आर. पी. (1956) राइज एण्ड फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, सेन्ट्रल बुक डिपो, इलाहाबाद।

[10] https://factly.in/data-number-of-women-mps-down-to-74-in-18th-lok-sabha-women-contestants-at-less-than-10/

[11] https://www.jagran.com/politics/national-the-number-of-women-mps-in-the-lok-sabha-will-be-181-what-will-change-after-the-women-reservation-bill-is-passed-read-full-details-here-23534351.html